भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2277

15 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

क्षय रोग के मामले

2277. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में क्षय रोग (टीबी) के मामलों की बढ़ती संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) देश में प्रति 100,000 व्यक्तियों पर क्षय रोगियों की संख्या से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को देश में क्षय रोग की दवाओं की खरीद में कई राज्यों के समक्ष आ रही चुनौतियों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) सरकार द्वारा क्षय रोग का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए आवश्यक अवसंरचना और दवाइयां प्राप्त करने में राज्य संस्थानों की सहायता करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग) : सरकार ने भारत में वर्ष 2025 तक क्षयरोग से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रगति की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत में टीबी मामले की दर 2015 में प्रति 100,000 आबादी पर 237 से 16% घटकर 2022 में प्रति 100,000 आबादी पर 199 हो गई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में प्रति 100,000 व्यक्तियों पर क्षय रोगियों की संख्या के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकडे़ **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

इसके अलावा, 2025 तक टीबी से संबंधित एसडीजी को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) निम्नालिखित प्रमुख गतिविधियों को लागू करता है:

1) उच्च रोगभार वाले क्षेत्रों में लक्षित कार्याकलाप के लिए राज्य और जिला विशिष्ट रणनीतिक योजना।

2) दवा प्रतिरोधी टीबी सहित टीबी रोगियों के लिए मुफ्त दवाओं और निदान का प्रावधान।
3) अधिक कमजोर और सह-रुग्ण आबादी में सक्रिय टीबी केस-फाइंडिंग अभियान।
4) आयुष्मान आरोग्य मंदिर के साथ एकीकरण ताकि समुदाय के करीब स्क्रीनिंग और उपचार सेवाओं को विकेंद्रीकृत किया जा सके।
5) आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से आयुष्मान भव: स्वास्थ्य शिविरों के दौरान कमजोर जनसंख्या की स्क्रीनिंग।
6) टीबी मामलों की अधिसूचना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन सहित निजी क्षेत्र की सहभागिता।
7) मोलक्यूलर नैदानिक प्रयोगशालाओं को उप-जिला स्तरों तक बढ़ाना।
8) टीबी रोगियों को पोषण सहायता के लिए नि-क्षय पोषण योजना।
9) कलंक को कम करने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य की मांग करने वाले व्यवहार में सुधार करने के लिए आईईसी अभियानों को तेज करना।
10) तत्संबंधी मंत्रालयों की भागीदारी के साथ बहु-क्षेत्रीय अनुक्रिया।
11) पल्मोनरी टीबी के संपर्कों के लिए टीबी निवारक चिकित्सा को बढ़ाना।
12) नि-क्षय नामक एक केस-आधारित वेब-आधारित पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित टीबी मामलों को ट्रैक करना
13) प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए):
    - मंत्रालय द्वारा 9 सितंबर 2022 को, टीबी से पीड़ित लोगों को अतिरिक्त पोषण, नैदानिक और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने, टीबी रोगियों को सामुदायिक सहायता हेतु शुरू किया गया।
    - नि-क्षय 2.0 पोर्टल विकसित किया गया है और समुदाय को नि-क्षय मित्र के रूप में पंजीकृत करने की सुविधा के लिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध करायी गयी है।
    - इस पहल को लागू करने के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज विकसित किए गए हैं और सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं।
    - राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरों पर पहल की प्रगति की निगरानी करने के लिए आवधिक समीक्षा की जाती है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत केन्द्रीय स्तर से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष भर क्षयरोग-रोधी औषधि की नियमित आपूर्ति की जाती रही है और केन्द्रीय भंडारगृहों से परिधीय स्वास्थ्य संस्थानों तक विभिन्न स्तरों पर स्टॉक की स्थिति का आंकलन करने के लिए नियमित मूल्यांकन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीमित मात्रा में स्थानीय खरीद के लिए संसाधनों का प्रावधान किया गया है।

****

अनुलग्नक I

2020 से 2022 तक और 2023 में नवंबर तक पिछले तीन वर्षों में प्रति 1,00,000 आबादी (अधिसूचना दर) पर राज्य-वार और वर्ष-वार टीबी के मामले-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022	2023*
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	123	130	136	118
आंध्र प्रदेश	122	164	174	164
अरुणाचल प्रदेश	154	163	169	88
असम	101	106	133	136
बिहार	79	104	125	138
चंडीगढ़	366	398	502	475
छत्तीसगढ़	98	106	127	120
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	120	122	164	116
दिल्ली	456	534	546	473
गोवा	108	130	134	115
गुजरात	173	204	213	195
हरियाणा	213	231	250	249
हिमाचल प्रदेश	179	191	211	199
जम्मू और कश्मीर	61	73	82	74
झारखंड	115	130	140	140
कर्नाटक	96	104	111	107
केरल	60	63	67	59
लद्दाख	70	83	125	103
लक्षद्वीप	30	18	17	8
मध्य प्रदेश	163	194	214	202
महाराष्ट्र	127	157	183	161
मणिपुर	50	57	72	57
मेघालय	113	111	131	119
मिजोरम	185	137	160	148
नगालैंड	168	175	197	179
ओडिशा	99	112	128	125
पुद्दुचेरी	185	226	247	291
पंजाब	151	162	181	170
राजस्थान	172	184	209	193
सिक्किम	202	206	209	184
तमिलनाडु	86	100	121	121
तेलंगाना	167	159	181	171
त्रिपुरा	52	64	75	75
उत्तर प्रदेश	158	192	218	247
उत्तराखंड	172	193	230	210
पश्चिम बंगाल	79	90	100	97

2023 के लिए, डाटा वार्षिक आधार पर नवंबर 2023 तक है।

डाटा स्रोत: नि-क्षय

*****